र य उपखण्ड कठूमर जिला अलवर

0 21/273/2022 तारीख रजू

मनोहरीलाल बनाम रामोतार वगैरा

ीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
19.09.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया,। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के,पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 522,वाके ग्राम नूनीयां तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में, अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, एवं तलवी नही भरने पर अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबल् कोई उज्र हो तो दिना क 10.10.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 10.10.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

मुताबिक बैरीफिकेशन एफ/P.G
वाइस ...सुनिश्चित कार्य में पेश
पत्रावली दिनांक 6/10/23
को पेश हो।

11/8/23

6/10/23 बमुताबिक उपस्थिति पत्रावली प्रार्थना-पत्र 42
RTA पर बहस सुनी गई। सायल ने
पत्रावली में लिखित तथ्यों को दोहराते हुये
गैरसायल को पाबन्द करने का निवेदन
किया गया जिसपर गैरसायल अधि० ने
ने स्वीकारते हुऐ ता दावा फैसल होने
तक 212 कीमें उभयपक्षकारान को पाबन्द किये
जाने पर सहमती प्रदान की गई। गैरसायलान
को उक्त आराजी से पाबन्द किये जाने
से उन्हे किसी तरह का नुकसान क्षति या असुविधा
नहीं हो इस तरह की स्थिति अदालत के
समक्ष नहीं है। प्रथम दृष्टया केस सुविधा का
सन्तुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल
के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः प्रार्थी
को प्रार्थना-पत्र 42 RTA गैरसायल अधि०
की सहमती के आधार पर स्वीकार किया
जाता है एवं उभयपक्षकारान को ता दावा
अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता
है की पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक
19.9.2022 मूल वाद के निस्तारण तक कनफर्म
किया जाता है की रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति
बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार
होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो। सुनाया

S D/- उपखण्ड अधिकारी
फागी (अलवर)